

>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नंबर 3 से 10 तक, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री राज नाथ सिंह जी की ओर से,

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4512/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, मैं पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की – गई – कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक – एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

पंद्रहवीं लोक सभा

विवरण संख्या

पांचवां सत्र, 2010

- 34 [Placed in Library, See No. LT
4513/17/21]
- विवरण संख्या 29 तेरहवां सत्र, 2013
[Placed in Library, See No. LT
4514/17/21]
- विवरण संख्या 24 चौदहवां सत्र, 2013
[Placed in Library, See No. LT
4515/17/21]
- विवरण संख्या 25 पन्द्रहवां सत्र, 2013-14
[Placed in Library, See No. LT
4516/17/21]
- सोलहवीं लोक सभा**
- विवरण संख्या 24 दूसरा सत्र, 2014
[Placed in Library, See No. LT
4517/17/21]
- विवरण संख्या 24 तीसरा सत्र, 2014
[Placed in Library, See No. LT
4518/17/21]
- विवरण संख्या 23 चौथा सत्र, 2015
[Placed in Library, See No. LT
4519/17/21]
- विवरण संख्या 20 पांचवां सत्र, 2015
[Placed in Library, See No. LT
4520/17/21]

विवरण संख्या 20	छठा सत्र, 2015 [Placed in Library, See No. LT 4521/17/21]
विवरण संख्या 18	आठवां सत्र, 2016 [Placed in Library, See No. LT 4522/17/21]
विवरण संख्या 17	नौवां सत्र, 2016 [Placed in Library, See No. LT 4523/17/21]
विवरण संख्या 15	दसवां सत्र, 2016 [Placed in Library, See No. LT 4524/17/21]
विवरण संख्या 15	ग्यारहवां सत्र, 2017 [Placed in Library, See No. LT 4525/17/21]
विवरण संख्या 13	बारहवां सत्र, 2017 [Placed in Library, See No. LT 4526/17/21]
विवरण संख्या 12	तेरहवां सत्र, 2017-18 [Placed in Library, See No. LT 4527/17/21]
विवरण संख्या 11	चौदहवां सत्र, 2018 [Placed in Library, See No. LT 4528/17/21]

.	विवरण संख्या 10	पन्द्रहवां सत्र, 2018 [Placed in Library, See No. LT 4529/17/21]
.	विवरण संख्या 8	सोलहवां सत्र, 2018-19 [Placed in Library, See No. LT 4530/17/21]
.	विवरण संख्या 7	सत्रहवां सत्र, 2019 [Placed in Library, See No. LT 4531/17/21]
.	विवरण संख्या 6	सत्रहवीं लोक सभा पहला सत्र, 2019 [Placed in Library, See No. LT 4532/17/21]
.	विवरण संख्या 5	दूसरा सत्र, 2019 [Placed in Library, See No. LT 4533/17/21]
.	विवरण संख्या 4	तीसरा सत्र, 2020 [Placed in Library, See No. LT 4534/17/21]
.	विवरण संख्या 3	चौथा सत्र, 2020 [Placed in Library, See No. LT 4535/17/21]
.	विवरण संख्या 1	पांचवां सत्र, 2021

[Placed in Library, See No. LT
4536/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री दानवे रावसाहेब दादाराव जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक – एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
(एक) राइट्स लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 4537/17/21]
(दो) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 4538/17/21]
(तीन) रेल विकास निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 4539/17/21]

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1)

के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2807(अ) जो 13 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की

पहली अनुसूची के भाग ख में निर्दिष्ट सभी या किसी शक्ति का उपयोग करने के लिए परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय के, उसमें उल्लिखित, अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है ।

- (दो) का.आ. 2805(अ) जो 13 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग ख में यथानिर्दिष्ट किसी दंडनीय अपराध के संबंध में लिखित में शिकायतें प्राप्त करने के लिए परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय के, उसमें उल्लिखित, अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है ।

[Placed in Library, See No. LT 4540/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

- (1) एमएमटीसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता-ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4541/17/21]

- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019 – 2020 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019 – 2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक – महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4542/17/21]

(4) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप – धारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन (संशोधन)नियम, 2021 जो दिनांक 21 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 424 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 4543/17/21]

(5) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1372 (अ) जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मिलर्स/रिफाइनर्स/व्यापारियों द्वारा राजवित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयात की जाने वाली उड़द के 4 लाख एमटी वार्षिक कोटा को अधिसूचित करने के बारे में है ।

(दो) का.आ. 1858 (अ) जो 15 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तत्काल प्रभाव से और 31 अक्टूबर, 2021 तक की अवधि के लिए तूर, मूंग

और उड़द के लिए आयात नीति का “प्रतिबंधित” से “मुक्त” के रूप में संशोधन किए जाने के बारे में है ।

(तीन) का.आ. 4741 (अ) जो 29 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018, अध्याय 10, अनुसूची 2, क्रमांक 55 और 57 की नीतिगत शर्त में संशोधन किए जाने के बारे में है ।

(चार) का.आ. 1145 (अ) जो 11 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाल चन्दन का निर्यात-समय विस्तार के बारे में है ।

(पांच) का.आ. 1548 (अ) जो 11 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो रेमडेसिविर और रेमडेसिविर एपीआई इंजेक्शन की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है ।

(छह) का.आ. 2070 (अ) जो 31 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा लाल चन्दन का निर्यात-समय विस्तार के बारे में है ।

(सात) का.आ. 2103 (अ) जो 01 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शनों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है ।

(आठ) का.आ. 2332 (अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो रेमडेसिविर और रेमडेसिविर एपीआई इंजेक्शन की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है ।

(नौ) का.आ. 2663 (अ) जो 01 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस)

निर्यात नीति, 2018, अध्याय 10, अनुसूची 2, क्रमांक 55 और 57 की नीतिगत शर्त में संशोधन के बारे में है ।

(दस) का.आ. 2803 (अ) जो 12 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान मालदीव गणराज्य को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के बारे में है ।

(ग्यारह) का.आ. 638 (अ) जो 10 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं के बारे में है ।

(बारह) का.आ. 656 (अ) जो 12 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के अध्याय-एक और अध्याय-दो के अंतर्गत आयातक-निर्यातक संहिता (आईईसी) संबंधी उपबंधों के संशोधन के बारे में है ।

(तेरह) का.आ. 1427(अ) जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-74 और अध्याय-76 के अंतर्गत तांबे और एल्युमिनियम की आयात नीतिगत में संशोधन के बारे में है ।

(चौदह) का.आ. 1699(अ) जो 26 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (आईआईएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-85 के एचएस कोड 85167920 और 85167990 के अंतर्गत नीतिगत शर्त के समावेश और आयात नीति में संशोधन के बारे में है ।

(पंद्रह) का.आ. 1700(अ) जो 26 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के

अध्याय-12 के एचएस कोड 12077090 के अंतर्गत अन्य के बारे में है ।

(सोलह) का.आ. 1723 (अ) जो 30 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 2.25 में संशोधन के बारे में है ।

(सत्रह) का.आ. 1840(अ) जो 10 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एकीकृत परिपथों (आईसी) की आयात नीति में संशोधन और आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-85 के एचएस कोड 85423100, 85423900, 85423200, 85429000 और 85423300 की निर्यात नीति के समावेश के बारे में है ।

(अठारह) का.आ. 2608(अ) जो 28 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-07 के एक्जिम कोड 07019000 के अंतर्गत मदों के लिए निर्यात नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है ।

(उन्नीस) का.आ. 2621(अ) जो 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-15 के एचएस कोड 151190 के अंतर्गत मदों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है ।

(बीस) का.आ. 2659(अ) जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईईसी के संशोधन की अवधि को 31.07.2021 तक आगे बढ़ाए जाने और जुलाई, 2021 के दौरान आईईसी अद्यतन किए जाने के लिए शुल्क माफ किए जाने के बारे में है ।

(इक्कीस) का.आ. 2783(अ) जो 12 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी

(एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-48 की नीतिगत शर्तों में संशोधन के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 4544/17/21]

(6) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 की उप-धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2304(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में सरकार द्वारा यथा-निर्धारित शास्तियां प्रभारित करके नीलामी प्लेटफॉर्मों पर अतिरिक्त अप्राधिकृत तम्बाकू खरीदने के लिए तम्बाकू व्यापारियों/डीलरों को अनुमति देने के लिए तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है तथा आंध्र प्रदेश राज्य में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10(1) के उपबंधों के प्रवर्तन को शिथिल बनाया गया है।

(दो) का.आ. 2305(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और 30 नवम्बर, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10(1) के उपबंधों के प्रवर्तन को शिथिल बनाया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 4545/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, प्रो. एस. पी. सिंह बघेल जी की ओर से, मैं विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उप धारा (1) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय विधिक सेवाएं समिति (संशोधन) नियम, 2021, जो

18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 198 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[Placed in Library, See No. LT
4546/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री सोम प्रकाश जी की ओर से, मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2710 (अ) जो 6 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सीमेंट उद्योग विकास परिषद की स्थापना की गई है और उसमें उल्लिखित व्यक्तियों को इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए उक्त परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[Placed in Library, See No. LT
4547/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, एडवोकेट अजय भट्ट जी की ओर से, मैं आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं रसेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उप – धारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का. नि. आ. 18 जो 26 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि पेंशन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति, उसमें उल्लिखित दिशा – निर्देशों के अध्यक्षीन, स्पर्श में पहचान के लिए स्वैच्छिक आधार पर अधिप्रमाणन का उपयोग कर सकता है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[Placed in Library, See No. LT 4548/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री देवुसिंह चौहान जी की ओर से, मैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 अंतर्गत दूर संचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 (2021 का 1) जो 11 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. आरजी – 1/2 (3) / 2021 – बी और सीएस (2) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[Placed in Library, See No. LT
4549/17/21]
